UPSI010054512022

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पी0ओ0सी0एस0ओ0 एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–14, सीतापुर।

उपस्थित– पीठासीन अधिकारी– (Rahul Prakash), (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP06429

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–19/2022

सी0आई0एस0 नं0–2201/2022

उत्तर प्रदेश राज्य ....**अभियोजन पक्ष**

बनाम

1– आलोक कुमार उर्फ मुनमुन उम्र 24 वर्ष पुत्र शिवबालक, निवासी ग्राम नयागांव थाना तालगांव जिला सीतापुर।

2– अरविन्द कुमार उम्र 28 वर्ष पुत्र भोंई गुप्ता, निवासी ग्राम ग्राम नयागांव थाना तालगांव जिला सीतापुर।

3– अमित कुमार उम्र 31 वर्ष पुत्र शिवबालक, निवासी ग्राम ग्राम नयागांव थाना तालगांव जिला सीतापुर।

4– कमल वर्मा उम्र 40 वर्ष पुत्र शिवबालक, निवासी ग्राम नयागांव थाना तालगांव जिला सीतापुर।

.................**अभियुक्तगण**

मु0अ0सं0–176/2022
धारा 363, 366 भा0द0सं0
व धारा 4, 17 लैंगिक अपराधों
से बालकों का संरक्षण अधिनियम
थाना–तालगांव, जिला–सीतापुर।

निर्णय

1. पुलिस थाना तालगांव, जनपद सीतापुर द्वारा अभियुक्तगण आलोक उर्फ मुनमुन, कमल वर्मा, अमित वर्मा व अरविन्द कुमार के विरूद्ध आरोप–पत्र अन्तर्गत धारा 363,365,366,506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 4 व 17 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में प्रेषित किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा राकेश कुमार द्वारा इस आशय की लिखित तहरीर थाना प्रभारी थाना तालगांव को दी

गयी कि दिनांक 08.05.2022 को समय लगभग 12.30 बजे दोपहर उसकी पुत्री पीड़िता उसके बड़े भाई विनोद कुमार द्विवेदी के घर जा रही थी जो कि गांव में उसके घर से कुछ दूरी पर स्थित है। उसके ग्राम व पो० नयागांव नेवाद जिला सीतापुर के ही निवासी आलोक कुमार उर्फ मुनमुन पुत्र शिवबालक वर्म व कमल वर्मा व अमित वर्मा पुत्र शिव बालक वर्मा और साथ में अरविन्द कुमार पुत्र भौंटू गुप्ता उसकी पुत्री अंशिका द्विवेदी को रास्ते में जबरन रोक कर उठा लिया और सभी लोग दो मोटर साइकिल पर सवार थे। इस घटना को उसके गांव के नीरज द्विवेदी पुत्र रामनरेश व जगदीश द्विवेदी पुत्र स्व० बृजलाल ने देखा और उन्हे कुछ अनहोनी महसूस हुई तो उन्हें चिल्लाते हुये पकड़ने की कोशिश की तो उपरोक लोगों ने तमन्चा दिखाकर धमकी दी कि हट जाओ नहीं तो जान से मार देंगे। उपरोक्त लोग उसकी पुत्री अंशिका द्विवेदी को उठा ले गये जो नाबालिग है। प्रार्थीध्वादी शोर सुनकर जब तक घटना की जगह पहुचा तब तक उसकी पुत्री को उपरोक्त लोग उठा ले गये। तब प्रार्थी ने तुरन्त गाड़ी लेकर अपने भाईयों व गांव के कुछ अन्य लोगों के साथ बताये गये रास्ते की तरफ पीछा करते हुये गये परन्तु उसकी पुत्री का कहीं पता नहीं चल सका, जिससे प्रार्थी/वादी के भाई व परिवार बहुत ही भयभीत व मांसिक परेशान हो गया कि कहीं उसकी पुत्री के साथ बड़ी अनहोनी न हो जाये। उक्त घटना की सूचना 1076 पर दी और काफी खोजबीन करने के बाद प्रार्थी ने रात्रि को सम्बन्धित थाने मे जाकर प्रार्थना–पत्र दिया लेकिन कोई कार्यावही नहीं की गई है।

3. वादी मुकदमा राकेश कुमार की उक्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0–176/2022, अन्तर्गत धारा 363, 366 भा0द0सं0 व धारा 4, 17 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, थाना–तालगांव, जिला–सीतापुर में अभियुक्तगण आलोक उर्फ मुनमुन, कमला वर्मा, अमित वर्मा व अरविन्द कुमार के विरूद्ध पंजीकृत हुआ।

4ण वादी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर मु०अ०सं०–31ध्2015, अन्तर्गत धारा 365,506 भा०दं०सं०, थाना तालगांव, जिला सीतापुर में अभियुक्तगण आलोक उर्फ मुनमुन, कमला वर्मा, अमित वर्मा व अरविन्द कुमार

के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट/चिक रिपोर्ट दिनांक 09.05.2022 को समय 18.10 बजे दर्ज की गयी। घटना की विवेचना तत्कालीन विवेचक द्वारा की गयी, जिन्होंने घटनास्थल का मौका–मुआयना किया, घटनास्थल का नक्षा–नजरी तैयार किया, गवाहों के बयान अंकित किया तथा सभी आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण करने के पश्चात् अभियुक्तगण आलोक उर्फ मुनमुन, कमला वर्मा, अमित वर्मा व अरविन्द कुमार के विरूद्ध आरोप–पत्र अन्तर्गत धारा 363,365,366,506भारतीय दण्ड संहिता व धारा 4 व 17लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में विचारण के लिए न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5. न्यायालय द्वारा दिनांक 06.02.2023 को अभियुक्तगण आलोक उर्फ मुनमुन, कमला वर्मा, अमित वर्मा व अरविन्द कुमार के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 363,366 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 4 व 17 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की माँग की।

6ण अभियोजन पक्ष ने अपने कथानक को प्रमाणित करने के लिए मौखिक साक्ष्य के रूप में पी0डब्लू–1 के रूप में वादी मुकदमा राकेश कुमार, पी०डब्लू–2 एस.आई. इन्द्र सिंह, पी0डब्लू–3 पीड़िता, पी0डब्लू–4 एस.आई. एखलाख हैदर, पी0डब्लू–5 एस.आई. देवनरायन तिवारी व पी0डब्लू–6 डा० दीपिका सिंह को परीक्षित कराया है।

7. अभियोजन पक्ष ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में तहरीर **प्रदर्श क–1,** मेडिकल प्रपत्र **प्रदर्श क–2,** एक्स–रे रिपोर्ट **वस्तु प्रदर्श 1,** बयान पीड़िता **प्रदर्श क–3,** नक्शा नजरी **प्रदर्श क–4,** आरोप पत्र **प्रदर्श क–5,** चिक एफ0आई0आर0 **प्रदर्श क–6,** कायमी रपट **प्रदर्श क–7,** जाँच आख्या **प्रदर्श क–8** व मेडिकल आख्या **प्रदर्श क–9,** पूरक आख्या **प्रदर्श क–10** को साबित किया है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक प्रमाणिकता स्वीकार की गयी है।

8. अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने

अभियोजन कथानक को गलत होना एवं झूठा मुकदमा चलाया जाना कहा है।

9ण मैंने अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

10ण अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा की वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री पीड़िता को बहला फुसलाकर भगा ले जाने जैसी गम्भीर घटना कारित की गयी। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं।

11ण बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा वादीी मुकदमा की नाबालिग लड़की पीड़िता को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का अपराध नहीं किया गया, जो अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के बयान से स्वतः स्पष्ट है। अभियोजन पक्ष पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त सन्देह से परे सबित करने में विफल रहा है। अतः अभियुक्तगण अपने ऊपर लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

12. अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को साबित करने हेतु निम्नलिखित साक्षियों को परीक्षित किया गया है, जिनके द्वारा दिया गया साक्ष्य इस प्रकार है :–

13. **अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–1** वादी मुकदमा राकेश कुमार ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "दिनांक 08.05.2022 समय दोपहर 12:30 बजे मेरी लड़की अंशिका देवी उम्र 10 वर्ष मेरे बड़े भाई विनोद द्विवेदी के घर पर जा रही थी। रास्ते में आलोक कुमार उर्फ मुनमुन अरविंद कुमार कमल कुमार व अमित कुमार दो मोटरसाइकिल से रास्ते में मिले। आलोक कुमार व अरविंद कुमार ने जबरदस्ती मेरी लड़की को मोटरसाइकिल पर बैठा लिया। कमल व अमित अपने

हाथ में असलहा लिए हुए थे। मेरी बेटी को बैठाये हुए मेरे पड़ोस के नीरज व जगदीश ने देखा था। इन लोगों ने मुल्जिमानों को पकड़ने की कोशिश किया तब कमल व अमित ने कहा पीछे हटो नहीं तो गोली मार देंगे। वे लोग मेरी लड़की को लेकर चले गए। हम लोगों ने मुल्जिमानों का पीछा किया परंतु नहीं मिले फिर मैंने थाने पर उसी दिन शाम को जाकर रिपोर्ट लिखायी थी। थाने के सामने टाइप की दुकान पर टाइप कराया था, पढ़कर सुनाया था। गवाह को कागज सं0–3क/5 गवाह को दिखाया गया जिसने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि किया जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था। नक्शा बनाया था।"

14. उक्त साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया कि "घटना के समय मैं अपनी दुकान किराने की जो मेरे घर पर है, उस पर बैठा था। मैंने घटना के समय मुल्जिमानों को मोटरसाइकिल से अपनी लड़की पीड़िता को ले जाते हुए नहीं देखा है। जगदीश व नीरज ने हमें बताया था। जगदीश व नीरज मेरे परिवार के नहीं हैं। जाति बिरादरी के हैं। मेरे गांव में द्विवेदी लोगों को एक ही परिवार है। मुल्जिमान आलोक, कमल व अमित सगे भाई हैं। यह शिवबालक के लड़के हैं। मेरे गांव में दयाशंकर, उत्तम, हरिशंकर व रामनरेश द्विवेदी रहते हैं मुझे इस बात की जानकारी है कि विनोद व दयाराम उत्तम आदि से सन 1998 से मारपीट हुई थी, जिसमें विनोद ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी। उसमें इन्हें सजा हो गयी थी। रामनरेश के लड़के का नाम नीरज द्विवेदी है। यह वही नीरज द्विवेदी है, जो मेरे मुकदमें में जगदीश के साथ गवाह है। अभियुक्त अरविन्द गुप्ता जाति का है। सन 2021 में जो प्रधानी चुनाव हुए थे, उसमें आठ लोग प्रधानी का चुनाव लड़ रहे थे। जिसमें प्रवीण जायसवाल, लक्ष्मीकान्त चर्तुवेदी, फारूख, अबदुल्ला व अनिल कुमार वर्मा भी चुनाव लड़ रहे थे। मुझे ध्यान नहीं है कि आलोक व अरविन्द ने जबरदस्ती मेरी लड़की को मोटरसाइकिल पर बिठा लिया, यह बात मैंने अपने प्रार्थना पत्र में व दरोगा जी को दिये 161 सी0आर0पी0सी0 के बयानों में लिखायी थी, या नहीं लिखायी थी। कमल व अमित हाथ में असलहा लिये हुए थे। यह बात मैंने अपनी तहरीर में लिखायी

थी। अगर नहीं लिखी है तो मैं इसकी वजह नहीं बता पाउंगा। यही बात मैंने दरोगा जी को बता दिया था। अगर मेरे बयानों में अंकित नहीं किया है तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकता। मुझे यह ध्यान नहीं है कि मैंने अपनी मुख्य परीक्षा में कमल व अमित ने कहा कि पीछे हटो नहीं तो गोली मार देंगे। यह बात मैंने अपनी तहरीर व दरोगा जी को बयान 161 सी0आर0पी0सी0 में बतायी है या नहीं। जिस समय की घटना बतायी जा रही है, उस समय मैं अपनी दुकान पर बैठा था। घटना के सम्बन्ध में किसी ने हमें फोन नहीं किया था, क्योंकि घटना बगल में हो रही थी, इसलिए मैं मौके पर पहुंचा था। मैंने इस घ टना के सम्बन्ध में 1076 पर काल किया था। यह काल मैंने घटना के काफी देर बाद किया था। काफी देर का मतलब 4–5 घंटे बाद किया था। जगदीश व नीरज ने मुझे मुल्जिमानों द्वारा प्रयोग की गयी मोटरसाइकिल का रंग रूप एवं नम्बर कुछ नहीं बताया था, फिर मैं अपनी दुकान पर वापस आया। फिर अपनी मोटरसाइकिल लेकर पता लगाया, जब नहीं मिली, तब मैं मोटरसाइकिल से थाने गया था। मैंने थाने पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया था। मैंने प्रार्थना पत्र हाथ से लिखाकर थाने दिया था। यह प्रार्थना पत्र मेरे छोटे भाई ने लिखा था। मैंने अपने छोटे भाई को घटना की बावत कोई बात नहीं बतायी थी, क्योंकि उसको जानकारी थी। इसलिए उसने अपने आप प्रार्थना पत्र लिखा दिया, फिर मैंने हस्ताक्षर बनाकर मैंने दीवान जी को प्रार्थना पत्र दे दिया था। इसी पर रिपोर्ट दर्ज हुई, दरोगा जी मुझको कई बार मिले थे। मेरी रिपोर्ट दर्ज होने के बाद अपनी बेटी को बराबर ढूंढता रहा। फिर एक दिन पुलिस ने फोन किया कि अपकी बेटी मिल गयी है, तब मैं थाने पर गया, वहां पर पीड़िता मिली। मैंने उससे घटना के बारे में पूछा था। नीरज व जगदीश की आपस में मेली मददगार है। मेरी दुकान पर सामान लेने आते है और चले जाते हैं। दरोगा जी मुझे घर पर थाने पर ही मिले। इसके अलावा मुझे कहीं नहीं मिले। मुझसे दरोगा जी कहीं नहीं मिले, न ही चलने के लिए कहा। मैंने दरोगा जी को जन्म का कार्ड व जन्मतिथि दरोगा जी को नहीं बताया था। मुझे यह ध्यान नहीं है कि पीड़िता हाईस्कूल का फार्म भरते समय अभिभावक के रूप में मुझे बुलाया

गया था, या नहीं। उक्त फार्म पर पीड़िता की जन्मतिथि क्या लिखी थी, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। घटना के बाद पीड़िता ने शादी अभी नहीं की है। पीड़िता मेरे घर पर रह रही है।"

15. **अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–2** डा0 इन्द्र सिंह रेडियोलाजिस्ट ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "दिनांक 18.05.2022 को मैं जिला अस्पताल सीतापुर में बतौर रेडियोलॉजिस्ट तैनात था। उस दिन सी.एम.ओ. के द्वारा संदर्भित पीड़िता अंशिका पुत्री राकेश कुमार द्विवेदी नि० नयागांव नेवादा थाना तालगांव जिला सीतापुर की उम्र निर्धारण हेतु दाहिनी कुहनी, घुटना, कलाई का एक्स–रे अपनी देख–रेख में कराया था, जिनसे महिला आरक्षी आरती शर्मा थाना तालगांव लेकर आयी और पहचान की गयी। एक्स–रे रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता की दाहिनी कुहनी, घुटना, कलाई के जोड़ की एपीफाइसिस पूर्ण रूप से जुड़े पाये गये थे, दाहिनी कलाई करने निकल के मेडिकल भाग के एपीफाइसिस जुड़े पाये गये। रिपोर्ट मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। इस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। एक्स–रे प्लेट पर वस्तु प्रदर्श क–1 डाला गया।"

16ए उक्त साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया कि "एक्स–रे के अनुसार पीड़िता की आयु 20 साल लगभग थी।"

17. **अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–3** पीड़िता ने मुख्य परीक्षा में कथन किया कि "घटना 8 मई, समय दोपहर 12.00बजे की है। मैं अपने घर से सूरज अंकल के घर अपनी बहन के साथ जा रही थी। रास्ते में मुझे आलोक और अरविन्द, अमित मिले। मुझे जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बैठा लिया फिर मुझे लखनऊ ले गये। अमित के हाथ में बन्दूक थी। आलोक मेरे घर के पास ही रहता है। मुझे उसके बाद बड़ी गाड़ी में बैठा लिया। फिर उसने मेरे साथ बलात्कार किया। फिर एक हफ्ते साथ रखा। लखनऊ में मुझे एक कमरे में रखा था। मेरे साथ उसने शादी नहीं की थी। उसने मुझसे कहा कि मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं मर जाऊंगा। फिर मुझे वो लखनऊ से घर ला रहा था। जीतामऊ के पास पुलिस ने मुझे पकड़ लिया था। घटना के समय मैं कक्षा 10 में जनता इंटर कॉलेज में पढ़ रही थी। घटना के समय मेरी उम्र 16वर्ष थी। फिर वहां से

मैं अपने माता–पिता के साथ जाना चाहती हूँ और मुझे कुछ नहीं कहना। पुलिस ने मेरा बयान लिया था। न्यायालय में मेरा बयान हुआ था। मेरा मेडिकल जिला महिला चिकित्सालय में हुआ था। न्यायालय के समक्ष न्यायालय की अनुमति से एक सील बंद लिफाफा खोला गया जिसमें पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा 164सी.आर.पी.सी. निकला। जिसे पीड़िता को पढ़कर सुनाया और दिखाया तो पीड़िता ने कहा कि यही बयान मैंने अदालत में दिया था तथा अपनी फोटो व हस्ताक्षर की पुष्टि की जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। घटना की रिपोर्ट मेरे पिता जी ने लिखायी थी।"

18ण उक्त साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया कि "मेरी शादी मुजफ्फरनगर से हुई है। मेरी शादी 25 मई 2023 को हुई थी। मैं इस समय प्रेग्नेंट नहीं है। मेरी चचेरी बहन कोमल मुझसे 12 वर्ष बड़ी है। मैंने अपने आधार कार्ड पर अपनी उम्र 15.10.2005 लिखायी थी। मैं आज अपना आधार कार्ड लेकर नहीं आयी हूॅ। घटना वाले दिन अपनी बहन कोमल के साथ अपने चाचा सूरज के घर जा रही थी। मुझे न्यायपुर वाली रोड डामर से लेकर गाड़ी में बिठाकर ले गये थे। मैंने वहां पर शोर नहीं मचाया था। मेरी बहन कोमल ने भी शोर नहीं मचाया था। मुझे गाड़ी का नम्बर रंग नहीं मालूम है। ड्राइवर की सीट पर कोई व्यक्ति बैठा था, यह भी मुझे ध्यान नहीं है। उस जीप में चार लोग बैठे थे। जीप मुझे किस दिशा लेकर गयी थी, यह मुझे मालूम नहीं है। उस जीप में जितने भी लोग बैठे थे, उनके कपड़ों का रंग मुझे नहीं मालूम। बैठे हुए लोग गोरे थे, या काले मुझे नहीं मालूम। जब मैं जीप में बैठी थी, तब मैं बेहोश थी। मुझे ध्यान नहीं है कि जीप में मुझे किसी ने कुछ खिलाया हो। जीप में बेहोश होने वाली बात मैं आज पहली बार बता रही हूॅ। इससे पहले मेंने पुलिस को व मजिस्ट्रेट को यह बात नहीं बतायी थी, क्योंकि उन्होंने मुझसे नहीं पूछा था। मुझे यह याद नहीं है कि मैं कितने घंटे व कितने मिनट बेहोश रही। जिस समय मैं वहां पर जीप से उतरी तो केवल आलोक ही था। मुझे ध्यान नहीं है कि जीप लेकर ड्राइवर चला गया था, या नहीं। मुझे आलोक ने एक कमरे में रखा था। वह कमरा किराये का था। इस कमरे के मालिक

कौन थे, मुझे मालूम नहीं है। मेरे सामने मकान मालिक को कोई किराया नहीं दिया गया। खाना–पीना मैं अपनी मर्जी से खाती थी। यह कहना गलत है कि कमरे में सारे काम मेरी मर्जी से होते थे। कोई काम मेरी मर्जी से नहीं हुआ। आलोक ने मेरे साथ बलात्कार किया था। मुझे आलोक द्वारा बलात्कार करने का दिन तारीख व स्थान नहीं मालूम। आलोक द्वारा बलात्कार करते समय मैंने शोर मचाया था, वह मुझे याद नहीं है। मैंने वह कपड़े थाने पर दे दिया था। फिर कहा कि मैंने कपड़े अस्पताल में बदले थे। फिर कहा कि कपड़े फेंक दिये थे। मेरे जो भी बयान हुए, मैंने अपनी मर्जी से सही बयान दिये थे। मजिस्ट्रेट के वहां जब मैं बयान देने आयी थी, तब मेरे मम्मी पापा मेरे साथ आये थे। मेरे मम्मी पापा ने मुझे चाय पानी नहीं कराया था। मेरे मम्मी पापा ने मुझसे हाल चाल भी नहीं पूछा था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा गुस्सा थे, क्योंकि आलोक मुझे जबरदस्ती भगा ले गया था।"

19. **अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–4** एस0आई0 एखलाख हैदर खॉ ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "दिनांक 09.05.2022 को मैं थाना तालगांव में बतौर उ.नि. तैनात था। उस दिन अ०सं०–176/2022 धारा 363,366 भा०दं०सं० की विवेचना मुझे सुपुर्द हुई थी। मैंने नकल चिक, नकल रपट का अवलोकन करने के वाद विवरण केस डायरी पर अंकित किया एवं लेखक एफ. आई.आर., हे० मो० देवनरायन तिवारी का बयान अंकित किया। दिनांक 10.05. 2022 को वादी का बयान अंकित किया गया एवं घटनास्थल का निरीक्षण किया एवं नक्शा–नजरी की निशानदेही पर तैयार किया जो शामिल पत्रावली है। इस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। दिनांक 16.05.2022 को पीड़िता को जीतामऊ चौराहे से बरामद किया गया एवं फर्द बरामदगी मौके पर ही तैयार की गई एवं पीड़िता के पास हाई स्कूल की मार्कशीट प्राप्त हुई, का अवलोकन किया गया, संलग्न केस डायरी किया तथा मुकदमे में पीड़िता के धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के बयान अंकित किए गए। इसके बाद पीड़िता को महिला आरक्षी आरती शर्मा के वास्ते कराने मेडिकल परीक्षण भेजा गया। दिनांक 17.05.2022 को पीड़िता की मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई, का अवलोकन करके संलग्न

केस डायरी किया। दिनांक 18.05.2022 को पीड़िता का बयान 164दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित कराकर अवलोकन किया गया एवं धारा 376 भारतीय दंड संहिता एवं 3\4 पॉक्सो ऐक्ट की बढ़ोतरी की गई एवं दिनांक 19.05.2022 को अभियुक्तगण में से अभियुक्त आलोक को गिरफ्तार करके उसका बयान अंकित किया गया तथा धारा 365,506,376भारतीय दंड संहिता व 3\4 पॉक्सो ऐक्ट में विवेचना अग्रसारित की गई दिनांक 21.05.2022 को अभियुक्त कमल वर्मा, अमित वर्मा व अरविंद कुमार को गिरफ्तार करके उनका बयान अंकित किया गया एवं माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण का रिमांड धारा 363,366 भारतीय दंड संहिता व धारा 17 पॉक्सो ऐक्ट में दिया गया तथा अंतर्गत धारा 363,366 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 17 पॉक्सो ऐक्ट में विवेचना संपादित की जाएगी। पीड़िता की प्रेगनेंसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर अवलोकन करके संलग्न केस डायरी किया। दिनांक 17.06.2022 को पीड़िता व अभियुक्त आलोक का डी.एन.ए. परीक्षण हेतु नमूने का डॉकेट बनाकर विधि–विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ भेजा गया। दिनांक 19.06.2022 को तमामी विवेचना से संकलित साक्षी के आधार पर अभियुक्त आलोक कुमार उर्फ मुनमुन के विरुद्ध आरोप–पत्र धारा 363,366 भारतीय दंड संहिता व धारा 4पॉक्सो ऐक्ट में तथा अभियुक्तगुण कमल वर्मा, अमित वर्मा व अरविंद कुमार के विरुद्ध आरोप–पत्र धारा 363,366 भारतीय दंड संहिता व धारा 17 पॉक्सो ऐक्ट में न्यायालय में प्रेषित किया गया जो शामिल पत्रावली है, इस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। दिनांक 29.06.2022 को पीड़िता की एक्स–रे रिपोर्ट प्राप्त होने पर अवलोकन करके संलग्न पत्रावली किया गया। दिनांक 11.07.2022 को चश्मदीद गवाह नीरज द्विवेदी जगदीश द्विवेदी व महिला डॉक्टर श्रीमती दीपिका सिंह का बयान अंकित किया तदनुसार आरोप पत्र में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण किया गया एवं विवेचना समाप्त किया। "

20ए उक्त साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया कि "उक्त मामला मेरी अदम मौजूदगी में थाने पर दर्ज हुआ था। उस समय मैं क्षेत्र में ड्यिूटी पर था। विवेचना हेतु मुझे एस0ओ0 साहब ने आदेशित किया था। नकल चिक, नकल

रपट मुझे थाने आने पर प्राप्त हुई। कायमी जी0डी0 का अवलोकन करने पर मुझे ज्ञात हुआ कि कमलेश्वर प्रसाद प्रकरण की जांच के लिए एस0ओ0 साहब ने निर्देशित किया था। इनकी जांच रिपोर्ट मुझे प्राप्त नहीं हुई थी। एफ0आई0आर0 लेखक ने अपने बयान में बताया कि वादी राजेन्द्र द्विवेदी ने एक प्रार्थना पत्र इसी घटना के सम्बन्ध में दिया है, जिसमें घटना अज्ञात वाहन चालक द्वारा कारित करने के सम्बन्ध में है। यह प्रार्थना पत्र चिक एफ0आई0आर0 मुझे मिली थी। इसी आधार पर मैंने विवेचना की थी। मैंने वादी का बयान दिनांक 10.05.2022 को अंकित किया था। समय मुझे याद नहीं है। मैंने वादी से विलम्ब का कारण नहीं पूछा था। वादी ने अपने बयानों में जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बैठाने वाली बात नहीं बतायी थी तथा वादी ने अपने बयान में यह भी नहीं बताया था कि कमल व अमित अपने हाथों में असलहा लिए हुए थे। वादी ने मुझे यह भी नहीं बताया था कि कमल व अमित ने कहा कि पीछे हटो, नहीं तो गोली मार देंगे। फिर इसके बाद मैं वादी को साथ लेकर घटना स्थल पर गया। वादी ने अपने प्रार्थना पत्र में घटना स्थल का जिक्र नहीं किया था, लेकिन घटना स्थल पीड़िता ने बताया था। इसी आधार पर घटना स्थल की पुष्टि पीड़िता के आधार पर वादी ने किया था। पीड़िता की बरामदगी आठ दिन बाद दिनांक 16.05.2022 को हुई है। घटना स्थल में मैंने अभियुक्तगणों के आने व जाने का मार्ग प्रदर्शित नहीं किया है। मैंने नक्शा नजरी में पीड़िता को किस दिशा में लेकर गये, यह भी प्रदर्शित नहीं किया है। मैंने नक्शा नजरी में एफ0आई0आर0 में दर्ज गवाह नीरज व जगदीश ने घटना कहां से होते देखा, अंकित नहीं किया है। मैंने गवाह एफ0आई0आर0 जगदीश व नीरज के बयान 2 माह 3 दिन बाद अंकित किये थे। इन गवाहों ने घटना में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिलों को बातया, परन्तु जिसका रंग, रूप, माडल, कम्पनी नहीं बताया है। वादी ने भी उपरोक्त दो मोटरसाइकिलों वाली बात नहीं बताया है। मैंने पीड़िता की बरामदगी के सम्बन्ध में मुखबिरों को हिदायत नहीं दिया था। बरामदगी के पश्चात मैं थाने पर आठ नौ बजे पहुंचा था। मैंने पीड़िता की बरामदगी के सम्बन्ध में रवानगी जी0डी0 नहीं भरा था। मैंने जिस

गाड़ी से लेकर गये थे, उसके सम्बन्ध में मैंने कोई छानबीन खोज खबर नहीं की है। मैंने पीड़िता से लखनऊ में कहां पर किस मकान में रखा, पूछा नहीं था। पीड़िता ने बयान 164 सी0आर0पी0सी0 में कहा है कि आलोक मुझे अपनी गाड़ी से लेकर आ रहा था तो रास्ते में सीतामऊ में पुलिस ने पकड़ लिया था। लेकिन फर्द बरामदगी में मैने जीतामऊ चौराहे पर सवारी के इन्तजार करने की बात लिखी है। एक लड़की की मौजूदगी भी मैंने अंकित की है। लेकिन मुझे मौके पर वह लड़का नहीं मिला था। मैंने मुखबिर द्वारा सूचना एक लड़का होने की सुनी थी तो मैंने आलोक वर्मा का नाम पूछा था, शेष तीन मुल्जिमानों के नाम मैंने पीड़िता से नहीं पूछे थे। दिनांक 21.05.2022 को उक्त घटना के सम्बन्ध में अभियुक्तगणों के घर दबिश दी गयी तो कमल वर्मा, अमित व अरविन्द तीनों लोग अपने घर पर उपस्थित मिले थे। तीनों मुल्जिमानों को मैंने हिरासत में लिया था। मैंने कारण गिरफ्तारी नहीं बताया था। इन तीनों मुल्जिमानों से मैंने बन्दूक, असलहा व मोटरसाइकिलों के बारे में नहीं पूछा था। सबसे पहले मुकदमा अन्तर्गत धारा 365, 506 भा0ंद0ंस0 में पंजीकृत हुआ था। विवेचना से मैंने 376 भा0ंद0ंस0 व पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की थी। माननीय न्यायालय द्वारा धारा 376 की घटोत्तरी की गयी थी, क्योंकि 376 भा0ंद0ंस0 का अपराध विवेचना से साबित नहीं हो पाया था।"

21. **अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–5** एस0आई0 देवनरायन ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "मैं उस दिनांक 09.05.2022 को थाना तालगांव जिला सीतापुर में बतौर हेड मोहर्रिर कार्यरत था। उस दिन एस0आई0 कमलेशवर प्रसाद थाना तालगांव की जांच आंख्या के साथ वादी मुकदमा राकेश कुमार का टाइपशुदा प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 176/22 पंजीकृत किया था। शामिल पत्रावली एफ0आई0आर0 पर एस0ओ0 महोदय के हस्ताक्षर बने हैं, जिसे प्रमाणित कर पुष्टि करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया। उसकी कम में कायमी रपट पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जो शामिल पत्रावली है, जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया। जांच आख्या शामिल पत्रावली है, जिस पर प्रदर्श क–8 डाला गया। विवेचक ने मुझसे पूछतांछ की थी।"

22ण उक्त साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया कि "विवेचक को मैंने यह बयान दिया था कि बमुद्दयय्यत वादी राजेन्द्र कुमार द्विवेदी बनाम अज्ञात वाहन चालक, यह बयान मैंने विवेचक को नहीं दिया था, उन्होंने कैसे लिख लिया, मैं नहीं जानता। पत्रावली में शामिल प्रदर्श क–8 मैंने साबित किया है।"

23. **अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–6** डा0 दीपिका सिंह ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "दिनांक 17.05.2022 को मैं जिला महिला अस्पताल सीतापुर मं चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत थी। उस दिन समय 3 पी0एम0 पर पीड़िता जिसे महिला कां0 भारती शर्मा द्वारा मेडिकल परीक्षण हेतु लाया गया था। पीड़िता की पहचान उक्त महिला के द्वारा की गयी थी। पीड़िता पूरे होशोहवास में थी तथा सभी वाइटल्स सामान्य थे। पीड़िता ने अपनी उम्र 16 वर्ष बतायी थी।

वाहय परीक्षण– पीड़िता के शरीर पर कोई जाहिरा चोट के निशान नहीं पाये गये। हाइमन पुराना फटा व भरा हुआ था।

आन्तरिक परीक्षण– हाइमन पुराना फटा व भरा हुआ था। बलपूर्वक प्रवेशन लैंगिक हमले के कोई चोट के निशान नहीं पाये गये। शामिल पत्रावली मेडिकल रिपोर्ट देखकर साक्षी ने कहा यह मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–9 डाला गया। पूरक आख्या पर प्रदर्श क–10 डाला गया। पैथालॉजी रिपोर्ट के अनुसार कोई शुक्राणु नहीं पाये गये तथा प्रेग्नेन्सी रिपोर्ट के अनुसार निगेटिव पाया गया।

अन्तिम राय– एक्स–रे रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता की उम्र 17 से 19 वर्ष पायी गयी तथा तत्कालिक लैंगिक हमले के कोई निशान नहीं पाये गये। इसलिए बलात्कार के सम्बन्ध में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती।"

24ण उक्त साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया कि "घटना के समय पहले कपड़े पीड़िता बदलकर आयी थी और नहाकर भी आयी थी। अगर पीड़िता के साथ जोर जबरदस्ती की गयी होती तो प्रतिकर्षण के निशान होते। मेरी राय में बलात्कार की घटना घटित होने के सम्बन्ध में कोई निश्चित राय नहीं दी जा

सकती है। मैंने पीड़िता का मेडिकल दिनांक 17.05.2022 को किया था। जिसकी पूरक आख्या दिनांक 13.04.2023 को मेरे द्वारा तैयार की गयी थी, जिसमें विलम्ब का कारण जब पुलिस रिपोर्ट लेकर मेरे पास गयी, तब मेरे द्वारा तैयार की गयी थी।"

निष्कर्ष

25. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण आलोक उर्फ मुनमुन, कमल वर्मा, अमित वर्मा व अरविन्द कुमार के विरूद्ध मु0अ0सं0–176/2022, अन्तर्गत धारा–363, 366 भा0द0सं0 व धारा 4, 17 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम व धारा का अभियोग है। प्रस्तुत प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु हैं–

26. 1. क्या पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम है?

27. 2. क्या अभियुक्तगण आलोक उर्फ मुनमुन, कमल वर्मा, अमित वर्मा व अरविन्द कुमार के विरूद्ध मु0अ0सं0–176/2022 अन्तर्गत धारा–363, 366 भा0द0सं0 व अभियुक्त आलोक उर्फ मुनमुन पर धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम व अभियुक्तगण कमल वर्मा, अमित वर्मा व अरविन्द कुमार पर धारा 17 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का अभियोग है?

निस्तारण विचारणीय बिन्दु संख्या–1

28. **विचारणीय बिन्दु सं0–1 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम है?**

29. प्रस्तुत प्रकरण में तहरीर प्रर्दश क–1 के आधार पर वादी मुकदमा राकेश कुमार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। अपनी तहरीर में वादी मुकदमा ने घटना के समय उसकी पुत्री की उम्र करीब 16 वर्ष दर्शायी है।

30. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–1 के रूप में परीक्षित वादी मुकदमा ने अपनी साक्ष्य में घटना के समय पीड़िता की उम्र लगभग 16 वर्ष दर्शायी है। अपनी जिरह में पी0डब्लू0–1 ने कथन किया कि मैंने दरोगा जी को जन्म का कार्ड व जन्मतिथि दरोगा जी को नहीं बताया था। मुझे यह ध्यान नहीं है कि पीड़िता हाईस्कूल का फार्म भरते समय अभिभावक के रूप में मुझे बुलाया गया था, या

नहीं। उक्त फार्म पर पीड़िता की जन्मतिथि क्या लिखी थी, इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

31. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–3 के रूप में पीड़िता परीक्षित हुई, जिसने घटना के समय अपनी आयु 16 वर्ष बतायी है। अपने बयान 164 सी0आर0पी0सी0 प्रदर्श क–3 में भी पीड़िता ने अपनी उम्र 16 वर्ष बतायी है।

32. अभियोजन की ओर से पीड़िता की आयु के बावत कोई जन्मतिथि प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

33. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–2 डा0 इन्द्र सिंह रेडियोलाजिस्ट ने अपनी एक्स–रे रिपोर्ट के आधार पर पीड़िता की रेडियोलाजिकल उम्र 20 वर्ष हो सकती है, का कथन किया है। मेडिकल प्रपत्रों के अनुसार पीड़िता की आयु 17 से 19 वर्ष है।

34. अतः मेडिकल प्रपत्रों के अनुसार पीड़िता की आयु 2 वर्ष अन्तर के साथ स्पष्ट रूप से 18 वर्ष से अधिक है, जिससे घटना के समय बालिग हो जाती है।

35. पीड़िता की आयु के खण्डन के सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। अतः पीड़िता घटना के समय बालिग थी।

36ण अतः स्पष्ट है कि पीड़िता घटना के समय 18 वर्ष से अधिक थी, बालिग थी। उपरोक्त आधारों पर विचारणीय बिन्दु संख्या–1 अभियोजन के विरूद्ध निर्णीत व निस्तारित किया जाता है।

निस्तारण विचारणीय बिन्दु संख्या–2

37. **विचारणीय बिन्दु सं0–2 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या अभियुक्तगण आलोक उर्फ मुनमुन, कमल वर्मा, अमित वर्मा व अरविन्द कुमार के विरूद्ध मु0अ0सं0–176/2022 अन्तर्गत धारा–363, 366 भा0द0सं0 व अभियुक्त आलोक उर्फ मुनमुन पर धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम व अभियुक्तगण कमल वर्मा, अमित वर्मा व अरविन्द कुमार पर धारा 17 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का अभियोग है?**

38. प्रस्तुत प्रकरण में तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी

मुकदमा द्वारा यह कहते हुए दर्ज करायी गयी कि दिनांक 08.05.2022 को समय लगभग 12.30 बजे दोपहर उसकी पुत्री पीड़िता उसके बड़े भाई विनोद कुमार द्विवेदी के घर जा रही थी जो कि गांव में उसके घर से कुछ दूरी पर स्थित है। उसके ग्राम व पो० नयागांव नेवाद जिला सीतापुर के ही निवासी आलोक कुमार उर्फ मुनमुन पुत्र शिवबालक वर्म व कमल वर्मा व अमित वर्मा पुत्र शिव बालक वर्मा और साथ में अरविन्द कुमार पुत्र भौंटू गुप्ता उसकी पुत्री अंशिका द्विवेदी को रास्ते में जबरन रोक कर उठा लिया और सभी लोग दो मोटर साइकिल पर सवार थे। इस घटना को उसके गांव के नीरज द्विवेदी पुत्र रामनरेश व जगदीश द्विवेदी पुत्र स्व० बृजलाल ने देखा और उन्हे कुछ अनहोनी महसूस हुई तो उन्हें चिल्लाते हुये पकड़ने की कोशिश की तो उपरोक लोगों ने तमन्चा दिखाकर धमकी दी कि हट जाओ नहीं तो जान से मार देंगे। उपरोक्त लोग उसकी पुत्री अंशिका द्विवेदी को उठा ले गये जो नाबालिग है। प्रार्थी/वादी शोर सुनकर जब तक घटना की जगह पहुचा तब तक उसकी पुत्री को उपरोक्त लोग उठा ले गये। तब प्रार्थी ने तुरन्त गाड़ी लेकर अपने भाईयों व गांव के कुछ अन्य लोगों के साथ बताये गये रास्ते की तरफ पीछा करते हुये गये परन्तु उसकी पुत्री का कहीं पता नहीं चल सका।

39. अभियोजन द्वारा अपने कथानक को साबित करने हेतु पी0डब्लू0–1 के रूप में वादी मुकदमा राकेश कुमार को परीक्षित कराया, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन किया तथा तहरीर प्रदर्श क–1 को साबित किया तथा जिरह में कथन किया कि घटना के समय मैं अपनी दुकान किराने की जो मेरे घर पर है, उस पर बैठा था। मैंने घटना के समय मुल्जिमानों को मोटरसाइकिल से अपनी लड़की पीड़िता को ले जाते हुए नहीं देखा है। जगदीश व नीरज ने हमें बताया था। जगदीश व नीरज मेरे परिवार के नहीं हैं। जाति बिरादरी के हैं। मेरे गांव में द्विवेदी लोगों को एक ही परिवार है। मुल्जिमान आलोक, कमल व अमित सगे भाई हैं। यह शिवबालक के लड़के हैं। मेरे गांव में दयाशंकर, उत्तम, हरिशंकर व रामनरेश द्विवेदी रहते हैं मुझे इस बात की जानकारी है कि विनोद व दयाराम उत्तम आदि से सन 1998 से मारपीट हुई थी, जिसमें विनोद ने

रिपोर्ट दर्ज करायी थी। उसमें इन्हें सजा हो गयी थी। रामनरेश के लड़के का नाम नीरज द्विवेदी है। यह वही नीरज द्विवेदी है, जो मेरे मुकदमें में जगदीश के साथ गवाह है। अभियुक्त अरविन्द गुप्ता जाति का है। सन 2021 में जो प्रधानी चुनाव हुए थे, उसमें आठ लोग प्रधानी का चुनाव लड़ रहे थे। जिसमें प्रवीण जायसवाल, लक्ष्मीकान्त चर्तुवेदी, फारूख, अबदुल्ला व अनिल कुमार वर्मा भी चुनाव लड़ रहे थे। मुझे ध्यान नहीं है कि आलोक व अरविन्द ने जबरदस्ती मेरी लड़की को मोटरसाइकिल पर बिठा लिया, यह बात मैंने अपने प्रार्थना पत्र में व दरोगा जी को दिये 161 सी0आर0पी0सी0 के बयानों में लिखायी थी, या नहीं लिखायी थी। कमल व अमित हाथ में असलहा लिये हुए थे। यह बात मैंने अपनी तहरीर में लिखायी थी। अगर नहीं लिखी है तो मैं इसकी वजह नहीं बता पाउंगा। यही बात मैंने दरोगा जी को बता दिया था। अगर मेरे बयानों में अंकित नहीं किया है तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकता। मुझे यह ध्यान नहीं है कि मैंने अपनी मुख्य परीक्षा में कमल व अमित ने कहा कि पीछे हटो नहीं तो गोली मार देंगे। यह बात मैंने अपनी तहरीर व दरोगा जी को बयान 161 सी0आर0पी0सी0 में बतायी है या नहीं। जिस समय की घटना बतायी जा रही है, उस समय मैं अपनी दुकान पर बैठा था। घटना के सम्बन्ध में किसी ने हमें फोन नहीं किया था, क्योंकि घटना बगल में हो रही थी, इसलिए मैं मौके पर पहुंचा था। मैंने इस घटना के सम्बन्ध में 1076 पर काल किया था। यह काल मैंने घटना के काफी देर बाद किया था। काफी देर का मतलब 4–5 घंटे बाद किया था। जगदीश व नीरज ने मुझे मुल्जिमानों द्वारा प्रयोग की गयी मोटरसाइकिल का रंग रूप एवं नम्बर कुछ नहीं बताया था, फिर मैं अपनी दुकान पर वापस आया। फिर अपनी मोटरसाइकिल लेकर पता लगाया, जब नहीं मिली, तब मैं मोटरसाइकिल से थाने गया था। मैंने थाने पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया था। मैंने प्रार्थना पत्र हाथ से लिखाकर थाने दिया था। यह प्रार्थना पत्र मेरे छोटे भाई ने लिखा था। मैंने अपने छोटे भाई को घटना की बावत कोई बात नहीं बतायी थी, क्योंकि उसको जानकारी थी। इसलिए उसने अपने आप प्रार्थना पत्र लिखा दिया, फिर मैंने हस्ताक्षर बनाकर मैंने दीवान जी

को प्रार्थना पत्र दे दिया था। इसी पर रिपोर्ट दर्ज हुई, दरोगा जी मुझको कई बार मिले थे। मेरी रिपोर्ट दर्ज होने के बाद अपनी बेटी को बराबर ढूंढता रहा। फिर एक दिन पुलिस ने फोन किया कि अपकी बेटी मिल गयी है, तब मैं थाने पर गया, वहां पर पीड़िता मिली। मैंने उससे घटना के बारे में पूछा था। नीरज व जगदीश की आपस में मेली मददगार है। मेरी दुकान पर सामान लेने आते है और चले जाते हैं। दरोगा जी मुझे घर पर थाने पर ही मिले। इसके अलावा मुझे कहीं नहीं मिले। मुझसे दरोगा जी कहीं नहीं मिले, न ही चलने के लिए कहा। मैंने दरोगा जी को जन्म का कार्ड व जन्मतिथि दरोगा जी को नहीं बताया था। मुझे यह ध्यान नहीं है कि पीड़िता हाईस्कूल का फार्म भरते समय अभिभावक के रूप में मुझे बुलाया गया था, या नहीं। उक्त फार्म पर पीड़िता की जन्मतिथि क्या लिखी थी, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। घटना के बाद पीड़िता ने शादी अभी नहीं की है। पीड़िता मेरे घर पर रह रही है।

40ण पी0डब्लू0–3 के रूप में पीड़िता स्वयं परीक्षित हुई, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया व बयान 164 सी0आर0पी0सी0 प्रदर्श क–3 को साबित किया तथा अपनी जिरह में कथन किया कि मेरी शादी मुजफ्फरनगर से हुई है। मेरी शादी 25 मई 2023 को हुई थी। मैं इस समय प्रेग्नेंट नहीं है। मेरी चचेरी बहन कोमल मुझसे 12 वर्ष बड़ी है। मैंने अपने आधार कार्ड पर अपनी उम्र 15.10.2005 लिखायी थी। मैं आज अपना आधार कार्ड लेकर नहीं आयी हूँ। घटना वाले दिन अपनी बहन कोमल के साथ अपने चाचा सूरज के घर जा रही थी। मुझे न्यायपुर वाली रोड डामर से लेकर गाड़ी में बिठाकर ले गये थे। मैंने वहां पर शोर नहीं मचाया था। मेरी बहन कोमल ने भी शोर नहीं मचाया था। मुझे गाड़ी का नम्बर रंग नहीं मालूम है। ड्राइवर की सीट पर कोई व्यक्ति बैठा था, यह भी मुझे ध्यान नहीं है। उस जीप में चार लोग बैठे थे। जीप मुझे किस दिशा लेकर गयी थी, यह मुझे मालूम नहीं है। उस जीप में जितने भी लोग बैठे थे, उनके कपड़ों का रंग मुझे नहीं मालूम। बैठे हुए लोग गोरे थे, या काले मुझे नहीं मालूम। जब मैं जीप में बैठी थी, तब मैं बेहोश थी। मुझे ध्यान नहीं है कि जीप में मुझे किसी ने कुछ खिलाया हो।

जीप में बेहोश होने वाली बात मैं आज पहली बार बता रही हूॅ। इससे पहले मेंने पुलिस को व मजिस्ट्रेट को यह बात नहीं बतायी थी, क्योंकि उन्होंने मुझसे नहीं पूछा था। मुझे यह याद नहीं है कि मैं कितने घंटे व कितने मिनट बेहोश रही। जिस समय मैं वहां पर जीप से उतरी तो केवल आलोक ही था। मुझे ध्यान नहीं है कि जीप लेकर ड्राइवर चला गया था, या नहीं। मुझे आलोक ने एक कमरे में रखा था। वह कमरा किराये का था। इस कमरे के मालिक कौन थे, मुझे मालूम नहीं है। मेरे सामने मकान मालिक को कोई किराया नहीं दिया गया। खाना–पीना मैं अपनी मर्जी से खाती थी। यह कहना गलत है कि कमरे में सारे काम मेरी मर्जी से होते थे। कोई काम मेरी मर्जी से नहीं हुआ। आलोक ने मेरे साथ बलात्कार किया था। मुझे आलोक द्वारा बलात्कार करने का दिन तारीख व स्थान नहीं मालूम। आलोक द्वारा बलात्कार करते समय मैंने शोर मचाया था, वह मुझे याद नहीं है। मैंने वह कपड़े थाने पर दे दिया था। फिर कहा कि मैंने कपड़े अस्पताल में बदले थे। फिर कहा कि कपड़े फेंक दिये थे। मेरे जो भी बयान हुए, मैंने अपनी मर्जी से सही बयान दिये थे। मजिस्ट्रेट के वहां जब मैं बयान देने आयी थी, तब मेरे मम्मी पापा मेरे साथ आये थे। मेरे मम्मी पापा ने मुझे चाय पानी नहीं कराया था। मेरे मम्मी पापा ने मुझसे हाल चाल भी नहीं पूछा था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा गुस्सा थे, क्योंकि आलोक मुझे जबरदस्ती भगा ले गया था।

41. पी0डब्लू0–4 के रूप में एस0आई0 एखलाख हैदर खॉ परीक्षित हुये, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में नक्शा नजरी प्रदर्श क–4 व आरोप पत्र प्रदर्श क–5 को साबित किया तथा जिरह में कथन किया कि उक्त मामला मेरी अदम मौजूदगी में थाने पर दर्ज हुआ था। उस समय मैं क्षेत्र में ड्यिूटी पर था। विवेचना हेतु मुझे एस0ओ0 साहब ने आदेशित किया था। नकल चिक, नकल रपट मुझे थाने आने पर प्राप्त हुई। कायमी जी0डी0 काह अवलोकन करने पर मुझे ज्ञात हुआ कि कमलेश्वर प्रसाद प्रकरण की जांच के लिए एस0ओ0 साहब ने निर्देशित किया था। इनकी जांच रिपोर्ट मुझे प्राप्त नहीं हुई थी। एफ0आई0आर0 लेखक ने अपने बयान में बताया कि वादी राजेन्द्र द्विवेदी ने एक प्रार्थना पत्र इसी ६

ाटना के सम्बन्ध में दिया है, जिसमें घटना अज्ञात वाहन चालक द्वारा कारित करने के सम्बन्ध में है। यह प्रार्थना पत्र चिक एफ0आई0आर0 मुझे मिली थी। इसी आधार पर मैंने विवेचना की थी। मैंने वादी का बयान दिनांक 10.05.2022 को अंकित किया था। समय मुझे याद नहीं है। मैंने वादी से विलम्ब का कारण नहीं पूछा था। वादी ने अपने बयानों में जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बैठाने वाली बात नहीं बतायी थी तथा वादी ने अपने बयान में यह भी नहीं बताया था कि कमल व अमित अपने हाथों में असलहा लिए हुए थे। वादी ने मुझे यह भी नहीं बताया था कि कमल व अमित ने कहा कि पीछे हटो, नहीं तो गोली मार देंगे। फिर इसके बाद मैं वादी को साथ लेकर घटना स्थल पर गया। वादी ने अपने प्रार्थना पत्र में घटना स्थल का जिक्र नहीं किया था, लेकिन घटना स्थल पीड़िता ने बताया था। इसी आधार पर घटना स्थल की पुष्टि पीड़िता के आधार पर वादी ने किया था। पीड़िता की बरामदगी आठ दिन बाद दिनांक 16.05. 2022 को हुई है। घटना स्थल में मैंने अभियुक्तगणों के आने व जाने का मार्ग प्रदर्शित नहीं किया है। मैंने नक्शा नजरी में पीड़िता को किस दिशा में लेकर गये, यह भी प्रदर्शित नहीं किया है। मैंने नक्शा नजरी में एफ0आई0आर0 में दर्ज गवाह नीरज व जगदीश ने घटना कहां से होते देखा, अंकित नहीं किया है। मैंने गवाह एफ0आई0आर0 जगदीश व नीरज के बयान 2 माह 3 दिन बाद अंकित किये थे। इन गवाहों ने घटना में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिलों को बातया, परन्तु जिसका रंग, रूप, माडल, कम्पनी नहीं बताया है। वादी ने भी उपरोक्त दो मोटरसाइकिलों वाली बात नहीं बताया है। मैंने पीड़िता की बरामदगी के सम्बन्ध में मुखबिरों को हिदायत नहीं दिया था। बरामदगी के पश्चात मैं थाने पर आठ नौ बजे पहुंचा था। मैंने पीड़िता की बरामदगी के सम्बन्ध में रवानगी जी0डी0 नहीं भरा था। मैंने जिस गाड़ी से लेकर गये थे, उसके सम्बन्ध में मैंने कोई छानबीन खोज खबर नहीं की है। मैंने पीड़िता से लखनऊ में कहां पर किस मकान में रखा, पूछा नहीं था। पीड़िता ने बयान 164 सी0आर0पी0सी0 में कहा है कि आलोक मुझे अपनी गाड़ी से लेकर आ रहा था तो रास्ते में सीतामऊ में पुलिस ने पकड़ लिया था। लेकिन फर्द बरामदगी में मैने जीतामऊ

चौराहे पर सवारी के इन्तजार करने की बात लिखी है। एक लड़की की मौजूदगी भी मैंने अंकित की है। लेकिन मुझे मौके पर वह लड़का नहीं मिला था। मैंने मुखबिर द्वारा सूचना एक लड़का होने की सुनी थी तो मैंने आलोक वर्मा का नाम पूछा था, शेष तीन मुल्जिमानों के नाम मैंने पीड़िता से नहीं पूछे थे। दिनांक 21.05.2022 को उक्त घटना के सम्बन्ध में अभियुक्तगणों के घर दबिश दी गयी तो कमल वर्मा, अमित व अरविन्द तीनों लोग अपने घर पर उपस्थित मिले थे। तीनों मुल्जिमानों को मैंने हिरासत में लिया था। मैंने कारण गिरफ्तारी नहीं बताया था। इन तीनों मुल्जिमानों से मैंने बन्दूक, असलहा व मोटरसाइकिलों के बारे में नहीं पूछा था। सबसे पहले मुकदमा अन्तर्गत धारा 365, 506 भा0द0स0 में पंजीकृत हुआ था। विवेचना से मैंने 376 भा0द0स0 व पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की थी। माननीय न्यायालय द्वारा धारा 376 की घ टोत्तरी की गयी थी, क्योंकि 376 भा0द0स0 का अपराध विवेचना से साबित नहीं हो पाया था।

42. पी0डब्लू0–5 के रूप में एस0आई0 देवनरायन परीक्षित हुये, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–6, कायमी जी0डी0 प्रदर्श क–7 व विनष्टीकरण रिपोर्ट प्रदर्श क–8 को साबित किया तथा जिरह में कथन किया कि विवेचक को मैंने यह बयान दिया था कि बमुद्दय्यत वादी राजेन्द्र कुमार द्विवेदी बनाम अज्ञात वाहन चालक, यह बयान मैंने विवेचक को नहीं दिया था, उन्होंने कैसे लिख लिया, मैं नहीं जानता। पत्रावली में शामिल प्रदर्श क–8 मैंने साबित किया है।

43. पी0डब्लू0–6 के रूप में डा0 दीपिका सिंह परीक्षित हुई, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क–9 व पूरक रिपोर्ट प्रदर्श क–10 को साबित किया तथा अपनी जिरह में कथन किया कि घटना के समय पहले कपड़े पीड़िता बदलकर आयी थी और नहाकर भी आयी थी। अगर पीड़िता के साथ जोर जबरदस्ती की गयी होती तो प्रतिकर्षण के निशान होते। मेरी राय में बलात्कार की घटना घटित होने के सम्बन्ध में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती है। मैंने पीड़िता का मेडिकल दिनांक 17.05.2022 को किया था।

जिसकी पूरक आख्या दिनांक 13.04.2023 को मेरे द्वारा तैयार की गयी थी, जिसमें विलम्ब का कारण जब पुलिस रिपोर्ट लेकर मेरे पास गयी, तब मेरे द्वारा तैयार की गयी थी।

44ए प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा यह कथन किया गया कि अभियुक्तगण मिलकर पीड़िता को उठा ले गये, उसके साथ गलत काम किया।

45. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–1 घटना के चश्मदीद साक्षी नहीं थे, उन्होंने अपनी जिरह में स्वीकार किया कि घटना के समय मैं अपनी दुकान किराने की जो मेरे घर पर है, उस पर बैठा था। मैंने घटना के समय मुल्जिमानों को मोटरसाइकिल से अपनी लड़की पीड़िता को ले जाते हुए नहीं देखा है। जगदीश व नीरज ने हमें बताया था। जगदीश व नीरज मेरे परिवार के नहीं हैं। जाति बिरादरी के हैं। मेरे गांव में द्विवेदी लोगों को एक ही परिवार है। मुल्जिमान आलोक, कमल व अमित सगे भाई हैं। यह शिवबालक के लड़के हैं। मेरे गांव में दयाशंकर, उत्तम, हरिशंकर व रामनरेश द्विवेदी रहते हैं मुझे इस बात की जानकारी है कि विनोद व दयाराम उत्तम आदि से सन 1998 से मारपीट हुई थी, जिसमें विनोद ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी। उसमें इन्हें सजा हो गयी थी। रामनरेश के लड़के का नाम नीरज द्विवेदी है। यह वही नीरज द्विवेदी है, जो मेरे मुकदमें में जगदीश के साथ गवाह है। अभियुक्त अरविन्द गुप्ता जाति का है। सन 2021 में जो प्रधानी चुनाव हुए थे, उसमें आठ लोग प्रधानी का चुनाव लड़ रहे थे। जिसमें प्रवीण जायसवाल, लक्ष्मीकान्त चर्तुवेदी, फारूख, अबदुल्ला व अनिल कुमार वर्मा भी चुनाव लड़ रहे थे। मुझे ध्यान नहीं है कि आलोक व अरविन्द ने जबरदस्ती मेरी लड़की को मोटरसाइकिल पर बिठा लिया, यह बात मैंने अपने प्रार्थना पत्र में व दरोगा जी को दिये 161 सी0आर0पी0सी0 के बयानों में लिखायी थी, या नहीं लिखायी थी। कमल व अमित हाथ में असलहा लिये हुए थे। यह बात मैंने अपनी तहरीर में लिखायी थी। अगर नहीं लिखी है तो मैं इसकी वजह नहीं बता पाउंगा। यही बात मैंने दरोगा जी को बता दिया था। अगर मेरे बयानों में अंकित नहीं किया है तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकता। मुझे यह ध्यान नहीं है कि मैंने अपनी मुख्य

परीक्षा में कमल व अमित ने कहा कि पीछे हटो नहीं तो गोली मार देंगे। यह बात मैंने अपनी तहरीर व दरोगा जी को बयान 161 सी0आर0पी0सी0 में बतायी है या नहीं। जिस समय की घटना बतायी जा रही है, उस समय मैं अपनी दुकान पर बैठा था। घटना के सम्बन्ध में किसी ने हमें फोन नहीं किया था, क्योंकि घटना बगल में हो रही थी, इसलिए मैं मौके पर पहुंचा था। मैंने इस घटना के सम्बन्ध में 1076 पर काल किया था। यह काल मैंने घटना के काफी देर बाद किया था। काफी देर का मतलब 4–5 घंटे बाद किया था। जगदीश व नीरज ने मुझे मुल्जिमानों द्वारा प्रयोग की गयी मोटरसाइकिल का रंग रूप एवं नम्बर कुछ नहीं बताया था, फिर मैं अपनी दुकान पर वापस आया। फिर अपनी मोटरसाइकिल लेकर पता लगाया, जब नहीं मिली, तब मैं मोटरसाइकिल से थाने गया था। मैंने थाने पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया था। मैंने प्रार्थना पत्र हाथ से लिखाकर थाने दिया था। यह प्रार्थना पत्र मेरे छोटे भाई ने लिखा था। मैंने अपने छोटे भाई को घटना की बावत कोई बात नहीं बतायी थी, क्योंकि उसको जानकारी थी। इसलिए उसने अपने आप प्रार्थना पत्र लिखा दिया, फिर मैंने हस्ताक्षर बनाकर मैंने दीवान जी को प्रार्थना पत्र दे दिया था। इसी पर रिपोर्ट दर्ज हुई, दरोगा जी मुझको कई बार मिले थे। मेरी रिपोर्ट दर्ज होने के बाद अपनी बेटी को बराबर ढूंढता रहा। फिर एक दिन पुलिस ने फोन किया कि अपकी बेटी मिल गयी है, तब मैं थाने पर गया, वहां पर पीड़िता मिली। मैंने उससे घटना के बारे में पूछा था। नीरज व जगदीश की आपस में मेली मददगार है। मेरी दुकान पर सामान लेने आते है और चले जाते हैं। दरोगा जी मुझे घर पर थाने पर ही मिले। इसके अलावा मुझे कहीं नहीं मिले। मुझसे दरोगा जी कहीं नहीं मिले, न ही चलने के लिए कहा।

46. पी0डब्लू0–3 के रूप में पीड़िता स्वयं परीक्षित हुई, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन किया तथा कथन किया कि मैं अपने घर से सूरज अंकल के घर अपनी बहन के साथ जा रही थी। रास्ते में मुझे आलोक और अरविन्द, अमित मिले। आगे अपनी जिरह में कथन किया कि घटना वाले दिन अपनी बहन कोमल के साथ अपने चाचा सूरज के घर जा रही थी। मुझे

न्यायपुर वाली रोड डामर से लेकर गाड़ी में बिठाकर ले गये थे। मैंने वहां पर शोर नहीं मचाया था। मेरी बहन कोमल ने भी शोर नहीं मचाया था। मुझे गाड़ी का नम्बर रंग नहीं मालूम है। ड्राइवर की सीट पर कोई व्यक्ति बैठा था, यह भी मुझे ध्यान नहीं है। उस जीप में चार लोग बैठे थे। जीप मुझे किस दिशा लेकर गयी थी, यह मुझे मालूम नहीं है। उस जीप में जितने भी लोग बैठे थे, उनके कपड़ों का रंग मुझे नहीं मालूम। बैठे हुए लोग गोरे थे, या काले मुझे नहीं मालूम। जब मैं जीप में बैठी थी, तब मैं बेहोश थी। मुझे ध्यान नहीं है कि जीप में मुझे किसी ने कुछ खिलाया हो। जीप में बेहोश होने वाली बात मैं आज पहली बार बता रही हूँ। इससे पहले मेंने पुलिस को व मजिस्ट्रेट को यह बात नहीं बतायी थी, क्योंकि उन्होंने मुझसे नहीं पूछा था। मुझे यह याद नहीं है कि मैं कितने घंटे व कितने मिनट बेहोश रही। जिस समय मैं वहां पर जीप से उतरी तो केवल आलोक ही था। मुझे ध्यान नहीं है कि जीप लेकर ड्राइवर चला गया था, या नहीं। मुझे आलोक ने एक कमरे में रखा था। वह कमरा किराये का था। इस कमरे के मालिक कौन थे, मुझे मालूम नहीं है। मेरे सामने मकान मालिक को कोई किराया नहीं दिया गया। खाना–पीना मैं अपनी मर्जी से खाती थी। मैंने वह कपड़े थाने पर दे दिया था। फिर कहा कि मैंने कपड़े अस्पताल में बदले थे। फिर कहा कि कपड़े फेंक दिये थे। मेरे जो भी बयान हुए, मैंने अपनी मर्जी से सही बयान दिये थे।

47. न्यायालय के समक्ष पीड़िता का बयान 164 सी0आर0पी0सी0 अंकित किया गया, जिसमें पीड़िता ने घटना का समर्थन किया तथा कथन किया कि अभियुक्तगण उसे जबरदस्ती उठाकर ले गये। अमित के हाथ में बन्दूक थी। आलोक और अरविन्द ने जबरदस्ती रास्ते में मोटरसाइकिल पर बिठा लिया। आलोक मेरे घर के पास ही रहता है, एक साल से सिर्फ दोस्ती थी। मैं आलोक से प्यार नहीं करती थी। सिर्फ दोस्ती थी। घटना वाले दिन बाइक पर उठाकर ले गया और आधे रास्ते जाकर बड़ी गाड़ी में बिठाकर आलोक अरविन्द अमित और कमल मुझे लखनऊ उठा ले गये। वहां किराये के घर में एक कमरे में सात दिन रखा। आलोक ने मेरे साथ गलत काम किया। आलोक ने मुझसे

शादी नहीं की।

48. पीड़िता ने अपने बयान 164 सी0आर0पी0सी0 में आलोक, अरविन्द, अमित व कमल का नाम लिया है, लेकिन न्यायालय में दिये गये साक्ष्य में मुख्य परीक्षा में केवल आलोक, अरविन्द व अमित द्वारा घटना कारित किये जाने का कथन किया है, जिससे पीड़िता के बयान में काफी विरोधाभाष उत्पन्न हो जाता है।

49. पी0डब्लू0–1 के रूप में वादी मुकदमा परीक्षित हुए, जो घटना के चश्मदीद साक्षी नहीं है। उनके द्वारा जो बयान दिया गया, वह जगदीश व नीरज के बताये अनुसार दिया गया, जो अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराये गये।

50. अभियुक्त पीड़िता को उठा ले जा रहा था, लेकिन पीड़िता के साथ कोमल ने शोर नहीं मचाया, जो साबित करता है कि पीड़िता अभियुक्त के साथ अपनी मर्जी से गयी होगी। किस स्थान पर ले गया, यह भी पीड़िता नहीं बता पायी। पहने हुए कपड़ों के बावत भी पीड़िता ने कई बार बयान बदले, जो अभियोजन कथानक के प्रति संदेह उत्पन्न करता है।

51. पीड़िता ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि जीतामऊ के पास पुलिस ने पकड़ लिया था। पत्रावली में पीड़िता की बरामदगी संलग्न है, जिसमें जीतामऊ में पकड़े जाने का कथन किया है।

52. पी0डब्लू0–1 द्वारा न्यायालय में दिये गये साक्ष्य में कथन किया है कि पीड़िता उसे घटना के बाद थाने पर मिली थी। जबकि फर्द पर पी0डब्लू0–1 राकेश कुमार के हस्ताक्षर मौजूद है।

53. पी0डब्लू0–4 विवेचक ने भी अपनी जिरह में कथन किया है कि वादी ने अपने प्रार्थना पत्र में घटना स्थल का जिक्र नहीं किया था, लेकिन घटना स्थल पीड़िता ने बताया था। इस आधार पर घटना स्थल की पुष्टि वादी मुकदमा ने की थी। फर्द बरामदगी पर पीड़िता के भी हस्ताक्षर हैं, लेकिन कौन लड़का पीड़िता के साथ था, यह कहीं भी फर्द पर उल्लिखित नहीं है। अतः आलोक पीड़िता के साथ बरामदगी के समय मौजूद नहीं था।

54. पी0डब्लू0–4 ने अपनी जिरह में कथन किया है कि कायमी जी0डी0 कायमी जी0डी0 का अवलोकन करने पर मुझे ज्ञात हुआ कि कमलेश्वर प्रसाद प्रकरण

की जांच के लिए एस0ओ0 साहब ने निर्देशित किया था। एफ0आई0आर0 लेखक ने अपने बयान में बताया कि वादी राजेन्द्र द्विवेदी ने एक प्रार्थना पत्र इसी घटना के सम्बन्ध में दिया है, जिसमें घटना अज्ञात वाहन चालक द्वारा कारित करने के सम्बन्ध में है।

55. पत्रावली में प्रार्थना पत्र प्रदर्श क–8 संलग्न है, जिसमें स्पष्ट रूप से कथन किया है कि राकेश कुमार द्विवेदी के प्रार्थना पत्र पर जांच से घटना के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्राप्त हो रही है। अतः प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना कराया जाना समीचीन होगा। अतः स्पष्ट है कि वादी मुकदमा द्वारा पूर्व में भी प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई।

56. पी0डब्लू0–4 विवेचक ने अपनी जिरह में स्वीकार किया कि मैंने वादी से विलम्ब का कारण नहीं पूछा था। वादी ने जबरदस्ती अपनी मोटरसाइकिल पर पीड़िता को बिठा लेने की बात नहीं बतायी थी। वादी ने घटना स्थल का जिक्र नहीं किया था। पीड़िता की बरामदगी छः दिन बाद दिनांक 16.05.2022 को हुई थी। घटना स्थल से अभियुक्तगण के आने जाने का कोई मार्ग प्रस्तुत नहीं किया है। किस दिशा में लेकर गये, अंकित नहीं किया है। नीरज व जगदीश ने घटना कहो से देखी थी, अंकित नहीं किया है। वादी मुकदमा के बयान से स्पष्ट है कि घटना स्थल पूर्णतया तस्दीक नहीं होता है।

57. प्रस्तुत प्रकरण में वादी मुकदमा ने न्यायालय में दिये गये साक्ष्य में कथन किया कि

मेरे गांव में दयाशंकर, उत्तम, हरिशंकर व रामनरेश द्विवेदी रहते हैं मुझे इस बात की जानकारी है कि विनोद व दयाराम उत्तम आदि से सन 1998 से मारपीट हुई थी, जिसमें विनोद ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी। उसमें इन्हें सजा हो गयी थी। रामनरेश के लड़के का नाम नीरज द्विवेदी है। यह वही नीरज द्विवेदी है, जो मेरे मुकदमें में जगदीश के साथ गवाह है।

58. अभियुक्त की ओर सफाई साक्ष्य के रूप में मु0अ0सं0–206/98 सत्र परीक्षण सेख्या 523/99 अन्तर्गत धारा 307,323,504,506 भा0द0सं0 थाना तालगांव सीतापुर की प्रति दाखिल की गयी है, जिसमें अभियुक्तगण दशशंकर, उत्तम,

हरीशंकर व रामनरेश द्विवेदी हैं।

59. उपरोक्त तथ्य साबित करता है कि अभियुक्त व वादी मुकदमा के मध्य पूर्व से रंजिश थी, जिस कारण प्रस्तुत घटना रंजिश के कारण बनायी गयी। वादी मुकदमा ने अपनी जिरह में स्वीकार किया कि मैंने प्रार्थना पत्र हाथ से लिखाकर थाने दिया था। यह प्रार्थना पत्र मेरे छोटे भाई ने लिखा था। मैंने अपने छोटे भाई को घटना की बावत कोई बात नहीं बतायी थी, क्योंकि उसको जानकारी थी। इसलिए उसने अपने आप प्रार्थना पत्र लिखा दिया, फिर मैंने हस्ताक्षर बनाकर मैंने दीवान जी को प्रार्थना पत्र दे दिया था। वादी मुकदमा को नीरज व जगदीश ने घटना के बावत बताया था, लेकिन वे अभियोजन द्वारा पेश नहीं किये गये, जिससे अभियोजन कथानक संदिग्ध प्रतीत होता है। पीड़िता भी न्यायालय में दिये गये साक्ष्य में सभी मुल्जिमानों के नाम नहीं ले रही है। किस गाड़ी से गयी, उसका नाम तथा किसके पास असलहे थे, नहीं बताया। अपनी जिरह में डाक्टर ने स्वीकार किया कि पीड़िता के साथ जबरदस्ती किये जाने का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं था। मेडिकल में भी पीड़िता के साथ जबरदस्ती किये जाने का कोई साक्ष्य नहीं है।

60. अतः उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अभियोजन कथानक में काफी विरोधाभाष है। घटना स्थल तस्दीक नहीं होता है। पीड़िता के बयानों में काफी विरोधाभाष है। पीड़िता मुल्ज्मि आलोक को पहले से जानती थी। अतः प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन साक्षियों के बयान के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा की वादी मुकदमा की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने एवं प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया जाना साबित नहीं होता है।

61. अतः उपरोक्त आधारों पर अभियुक्तगण पर अपराध अन्तर्गत धारा 363, 366 भा0द0सं0 व धारा 4, 17 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम सन्देह से परे साबित नहीं होता है। अतः उपरोक्त आधारों पर विचारणीय बिन्दु संख्या–2 नकारात्मक रूप से निर्णीत व निस्तारित किया जाता है।

62. पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य के सम्यक परिशीलन के उपरान्त यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचती है कि अभियोजन

पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों अन्तर्गत धारा 363, 366 भा0द0सं0 व धारा 4, 17 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अपराध को सन्देह से परे साबित करने में विफल रहा है। इस कारण अभियुक्तगण सन्देह का लाभ पाते हुए उन पर लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

63. अभियुक्तगण आलोक उर्फ मुनमुन, कमल वर्मा, अमित वर्मा व अरविन्द कुमार को मु0अ0सं0–176/2022 में उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 363, 366 भा0द0सं0 व धारा 4, 17 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम से सन्देह का लाभ प्रदान करते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

64. अभियुक्तगण आलोक उर्फ मुनमुन, कमल वर्मा, अमित वर्मा व अरविन्द कुमार जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437ए के तहत बन्धपत्र व जमानतनामें नहीं दिये गये हैं। अतः वह एक सप्ताह के अन्दर उक्त बन्धपत्र व जमानतनामें दे। तदोपरान्त पूर्व में दिये गये उनके बन्धपत्र व जमानतनामें निरस्त होंगे व प्रतिभू उन्मोचित होंगे।

दिनांक–07.11.2023

(राहुल प्रकाश)
विशेष न्यायाधीश, (पी0ओ0सी0एस0ओ0 एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–14,
सीतापुर।

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–07.11.2023

(राहुल प्रकाश)
विशेष न्यायाधीश, (पी0ओ0सी0एस0ओ0 एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–14,
सीतापुर।

बलवन्त सिंह/–

Digitally signed by RAHUL PRAKASH
Date: 2023.11.08 13:17:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court Sitapur